



५९१।।

दृष्टान् 2286709  
2286710

नव दर्शन कंपनी अस्त्रक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक :  
सेवा में

४७०५ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६

दिनांक २६ मार्च २०१६

विषय :

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-शामली।

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में गिर्मालेखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुप्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALI LA0211937	(धनराशि लाख रु० में) 63.534

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	पत्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
१	शामली	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०प० ऊन	मोहल्ला जयरीह (पाटे-ए) में महेन्द्र के घर से नरेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.660
२	शामली	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०प० ऊन	मोहल्ला सुगाधनगर गे राजीव के मकान से आगवीर के मकान तक, महिपाल के मकान से रामाकिशन की दुकान तक एवं बाल संस्थान सेन्टर से करमवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	22.348
३	शामली	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०प० ऊन	मोहल्ला जयरीह (पाटे-वी) में राजीव के मकान से ओगवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	19.526
	ग्राम				63.534

उपरोक्त अवगुप्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत शीर्षी०आ००/परियोजना के अनुसार ही किया जाये।

- १- उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत शीर्षी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पानवली में रखा जाये।
- २- राज्यनीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टकअप न कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी रवौकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४- अवगुप्त की जा रही धनराशि के रापेक्षा यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि परियोजनानार्थी कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिपोर्ट में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण गुरुखोलय का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५- राज्यनीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/राज्यनीय विभि/नियम एवं पर्यावरणीय वास्तवता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



५१/२

दरमांध्र- 2286709  
2286710

नव चतुना कंडा, 10 ब्रह्मोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में रथीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हरतपुस्तिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविध में सम्बुद्धि रथ-रथाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की राहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि हूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रथीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम के न्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्वीकृत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य पिधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवगुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अदमुक्त की गई धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संस्कृत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष हितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य रोन्टेज की धनराशि एवं हितीय किशत में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवगुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप रिह)

वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि नियमानुसारित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्यूटर रोल/लेखा विभाग—सूडा।।।

(लाल प्रताप रिह)

वित्त नियन्त्रक